उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 03 पौष, शक संवत् 1947

(24 दिसम्बर, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025

(2) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025

(5) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025

(6) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025

(7) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

(8) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025

(9) किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025

(10) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

(11) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025

अनन्तिम रूप से (12) उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025

(श्री अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।)

3-वित्त मंत्री, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जी0जे0वाई0) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक) को सदन की मेज पर रखेंगे।

4-वित्त मंत्री, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-8, वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन की मेज पर रखेंगे।

5-वित्त मंत्री, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक विनियोग लेखे 2024-25, वित्त लेखे खण्ड-I 2024-25, वित्त लेखे खण्ड-II 2024-25 एवं लेखे एक दृष्टि में 2024-25 को सदन की मेज पर रखेंगे।

6-संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-177/90-सं-1-2025/08 सं-2025, दिनांक 13 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025'' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

7-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश भर में समय-सीमा पूरी कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के अभियान चलाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-मुख्य मंत्री, जनपद-बांदा के दक्षिण दिशा में तहसील नरैनी के ग्राम जरर में अत्यन्त प्राचीन शंकर जी की प्राकृतिक गुफा के आस-पास स्थित पहाड़ की चोटी पर पत्थर तोड़ने के कार्य को तत्काल रुकवाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व श्री श्रीचन्द शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजधानी लखनऊ में चारबाग से उन्नाव होते हुए अचलगंज-सिकन्दरपुर-बीघापुर होते हुए बीघापुर तहसील मुख्यालय पाटन तकिया तक बस का पुनः संचालन करने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री दिनेश कुमार गोयल,

सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम खल्लपुर, विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

11-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-नवादावन, विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

12-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-पड़रिया तुला, विकास खण्ड-बिजुआ, तहसील-गोला गोकर्णनाथ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

13-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बैकुन्ठा, पोस्ट-सिराथू, विकास खण्ड-बेहजम, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

14-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवागाँव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

15-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गौरिया कलां, विकास खण्ड-परसेण्डी, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

16-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

17-मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

18-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

19-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

20-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

21-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

22-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

23-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

24-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

25–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

26–वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

27–वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

28–नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

29–नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

30–चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

31–चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

32–उप मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

33–उप मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

34–औद्योगिक विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

35–औद्योगिक विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

36-श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

37-श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

38-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

अनन्तिम रूप से 39-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम रूप से 40-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

41-राष्ट्रगान (देखिये नत्थी 'ज')।

लखनऊ :
बुधवार, 03 पौष, शक संवत् 1947
(24 दिसम्बर, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	24-9-2025
*2	24-9-2025
*3	30-9-2025
*4	7-11-2025
*5	12-12-2025
*6	12-12-2025
*7	12-12-2025
*8	13-12-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	13-10-2025
2	13-10-2025
3	11-11-2025
4	11-11-2025
5	11-11-2025
6	26-11-2025
7	26-11-2025

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

परिवहन विभाग में कार्मिकों की सेवानिवृत्ति एवं स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 अगस्त, 2025 तक कितने कार्मिक सेवानिवृत्त हुए हैं और कितने पदों पर स्थायी नियुक्ति हुई है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और बलिया में पिछले पाँच वर्षों में सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले के द्वारा युवाओं को रोजगार मिलने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
2

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे की जनपद वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और बलिया में पिछले पाँच वर्षों में सेवायोजन विभाग द्वारा कितने रोजगार मेले आयोजित किए गये ?

(ख) उक्त मेलों के माध्यम से वास्तविक रूप से कितने युवाओं को रोजगार मिला ?

(ग) उक्त शिकायतों की जाँच एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

यू0पी0एस0एस0एस0सी0 के द्वारा आयोजित होने वाले पी0ई0टी0 के परीक्षा केन्द्र 400-500 किमी0 दूर बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 3	*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि छात्र/छात्राओं को सरकारी नौकरी देने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पूर्व आयोजित होने वाली परीक्षा यू0पी0एस0एस0एस0सी0 पी0ई0टी0 का परीक्षा केन्द्र 400-500 किमी0 दूर बनाने का क्या औचित्य है ? (ख) क्या उक्त व्यवस्था से मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करना चाहते हैं ? (ग) क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र/छात्राओं को यात्रा हेतु फ्री टिकट या यात्रा भत्ता की भी कोई व्यवस्था है ?	मुख्य मंत्री

धान की खरीद में जनपद मैनपुरी तथा तहसील-करहल की उपमण्डी में खरीद का सरकारी कांटे लगाये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 4	*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इस वर्ष धान की खरीद जनपद मैनपुरी में हो रही है तथा तहसील-करहल की उपमण्डी में खरीद का सरकारी कांटा लगा हुआ है ? (ख) यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) यदि हाँ, तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	*5-[अन्तरित।]	
श्री मुकुल यादव 6	*6-[अन्तरित।]	

वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत परिवहन विभाग से संचालित नई बसों का नये रूटों पर संचालन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 7	*7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तक कितनी नई बसों को सम्मिलित कराया गया है और कितने नये रूटों पर बसों का संचालन किया गया है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद-मैनपुरी के वरनाहल में परिवहन बस स्टैंड पर कर्मचारियों की तैनाती व बसों के ठहराव के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 8

*8-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी के वरनाहल में परिवहन बस स्टैंड पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं व कितनी बसों का ठहराव होता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि ठहराव होता है, तो कितना ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 14-12-2021 से लखनऊ के चारबाग स्टेशन से उपनगरीय परिवहन सेवा की एक बस प्रतिदिन सायंकाल उन्नाव-अचलगंज होते हुए बीघापुर तक चलाई गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-01 के उत्तर के क्रम में उक्त बस को बीघापुर तहसील मुख्यालय तकिया/पाटन तक दिनांक 16-04-2022 से करा दिया गया था ?

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान में इस बस का संचालन स्वीकृत मार्ग पर न होकर बीघापुर से चन्दनपुर तक ही किया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से और क्यों ?

(ङ) क्या पूर्व स्वीकृत मार्ग पर ही बस का संचालन करायेंगे ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 2

2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में करदहा से लखनऊ तक परिवहन निगम की बसें न होने के कारण यात्रियों को डग्गामार वाहनों का उपयोग करना पड़ता है ?

(ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह 3

3-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सकरन मुख्यालय तक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं डग्गामार साधनों का उपयोग करना पड़ता है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

	(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु जनपद से ब्लाक मुख्यालय तक बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 4	4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला मुख्यालय तक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं डग्गामार साधनों का उपयोग करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु जनपद से ब्लाक मुख्यालय तक बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 5	5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा मुख्यालय तक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं डग्गामार साधनों का उपयोग करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु जनपद से ब्लाक मुख्यालय तक बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 6	6-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद में बस स्टेशन न होने से यात्रियों को रोड पर खड़े होकर वाहनों का इन्तजार करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बस स्टेशन का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 7	7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-रामपुर मथुरा से अयोध्या के लिए परिवहन निगम की बस का संचालन न होने के कारण तीर्थ यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर बस का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर ग्राम-खल्लपुर में प्रा0 वि0 से काली मन्दिर होते हुये दातागंज रोड तक (दक्षिण साइड में) लगभग 600 मीटर डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, ग्राम-खल्लपुर के अन्तर्गत प्रा0 वि0 से काली मन्दिर होते हुये दातागंज रोड तक (दक्षिण साइड में) लगभग 600 मीटर डामरीकरण रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, ग्राम-खल्लपुर में प्रा0 वि0 से काली मन्दिर होते हुये दातागंज रोड तक (दक्षिण साइड में) लगभग 600 मीटर डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, ग्राम-नवादावन में होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के मकान तक लगभग 100 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, ग्राम-नवादावन के अन्तर्गत होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के मकान तक लगभग 100 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बरेली विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, ग्राम-नवादावन में होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के मकान तक लगभग 100 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर, तहसील-गोला गोकर्णनाथ, विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम व पोस्ट-पड़रिया में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर, तहसील-गोला गोकर्णनाथ, विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम व पोस्ट-पड़रिया के अन्तर्गत खेल के मैदान न होने के कारण आये-दिन सामाजिक संगठनों द्वारा खेल का प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाता। जिससे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता

है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर, तहसील-गोला गोकर्णनाथ, विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम व पोस्ट-पड़रिया में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर विकास खण्ड-बेहजम, पोस्ट-सिराथू, ग्राम-बैकुन्ठा में मुख्य मार्ग राजागंज व खजुहा मार्ग से लगभग 550 मीटर पेन्टेड रोड श्री राम गौतम के मकान से मजरा बैकुन्ठा तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर विकास खण्ड-बेहजम, पोस्ट-सिराथू, ग्राम-बैकुन्ठा में मुख्य मार्ग राजागंज व खजुहा मार्ग से लगभग 550 मीटर पेन्टेड रोड श्री राम गौतम के मकान से मजरा बैकुन्ठा तक रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अत माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर विकास खण्ड-बेहजम, पोस्ट-सिराथू, ग्राम-बैकुन्ठा में मुख्य मार्ग राजागंज व खजुहा मार्ग से लगभग 550 मीटर पेन्टेड रोड श्री राम गौतम के मकान से मजरा बैकुन्ठा तक रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम नवागांव में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम नवागांव के अन्तर्गत खेल के मैदान न होने के कारण ग्रामीण प्रतिभाओं गांव से लेकर विभिन्न स्तरों खेलने हेतु अवसर मिले जिसके लिये मैदान की बहुत आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम नवागांव में में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गैरिया कलां में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गैरिया कलां के अन्तर्गत बारात घर न होने के कारण ग्रामीणों को गांव में शादी विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में बहुत दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-परसेण्डी, ग्राम पंचायत-गैरिया कलां में बारात घर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।